न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 पूजा सक्सेना, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या 234/2019 वाद पत्र

अनवान प्रकरण

1—गोपाल उर्फ गंगालाल पिता बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया तहसील मांडल
2—गैरूलाल उर्फ नंदकिशोर पिता बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया त0 माण्डल
3—रामकन्या पत्नि बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया के बजाय —
1—श्रीमती शांता पत्नि कन्हैयालाल बाहेती पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी कालियास त0आसीन्द
2—श्रीमती सुशीला देवी पत्नि बद्री गुवाल पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी रायपुर त0रायपुर
3—श्रीमती गीता पत्नि रामस्वरूप राठी पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी भीलवाड़ा त0भीलवाड़ा
4—श्रीमती कान्तादेवी पत्नि गोपाल कावरा पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी रायपुर त0रायपुर

———वादीगण

बनाम

सुवालाल पिता रामनारायण कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 माण्डल के बजाय—
1—बालकिशन पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
2—सत्यनारायण पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
3—राधेश्याम पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
4—जगदीश पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
5—श्रीमती पुष्पा पिता सुवालाल कोठारी महाजन पत्नि मूलचन्द जागेटिया निवासी गोरख्या त0 करेड़ा
6—श्रीमती रूकमण पिता सुवालाल कोठारी महाजन पत्नि लक्ष्मीलाल समदानी निवासी नाहरी त0 रायपुर
सत्यनारायण पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया तहसील मांडल
राधेश्याम पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया तहसील मांडल
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

———प्रतिवादीगण

(वाद बाबत— घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती)

ना पत्रः— अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 07 व 08

———0———

स्थितः— वकील प्रार्थी/प्रतिवादी— श्री मो0 वासिफ
वकील अप्रार्थीगण/वादीगण—श्री एस0के0पालीवाल

———

आदेश

दिनांक 17.06.2022

संक्षिप्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के इस प्रकार है कि वादीगण/अप्रार्थीगण के द्वारा प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद दारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 88, 89, रा0का0अ0के तहत प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 एक ही परिवार क सदस्य है तथा ईश्वरलाल कोठारी की सन्तान है। ग्राम लुहारिया में पुराने वन्दोबस्त में कुल कीता 7 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि जोरावरमल पिता ईश्वरलाल के खातेदारी अधिकार की थी। जोरावरमल सम्वत् 2003 में लाऔलाद फौत हो गए। जोरावरमल के पूर्व ही जोरावरमल के भाई चुन्नीलाल व सोमकरण का निधन हो गया था तथा चुन्नीलाल के पुत्र रामनारायण का भी जोरावरमल के जीवनकाल में यानि सम्वत् 2000 में हो गया था। जोरावरमल की मृत्यु के बाद जोरावरमल के वारिस सुवालाल प्रतिवादी सं0 1 व बंशीलाल वादी नं0 1 व 2 के पिता व नम्बर 3 के पति व मदनलाल जायदाद पर काबिज हुए। मदनलाल का निधन 85में लाऔलाद होने से जारावरमल की वादवर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी नं0 1 सुवालाल व वादी संख्या 1 व 2 के पिता व 3 के पति बंशीलाल काबिज हुए। वादवर्णित आराजीयात जोरावरमल की मृत्यु के बाद वादवर्णित आराजीयात प्रतिवादी सुंवालाल व बंशीलाल के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु दिनांक 21. 02.1959 को प्रतिवादी सं0 2 सत्यनारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाली । उक्त आराजीयात को वक्त सेटलमेण्ट सम्वत् 2025 में प्रतिवादी सं0 2 सत्यनारायण के साथ–साथ प्रतिवादी सं0 3 राधेश्याम के नाम पर भी दर्ज करवादी। जबकि कब्जा काश्त प्रतिवादी सुवालाल व वादी सं0 1 व 2 के पिता व 03 के पति का था। उक्त साबिक आराजीयात के हाल बन्दोबस्त में आराजीयात कीता 11 कुल रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा बने इसमें से कुल कीता 5 कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि आबादी में दर्ज हो गई जो कमी के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में कुल कीता 9 कुल रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 में सत्यनारायण, राधेश्याम पिता सुवालाल के नाम खातेदारी से गलत दर्ज होने से इन्द्राज दुरूस्ती आवश्यक है। बिनाय वाद 10 जून 99 से उत्पन्न होना वाद में अंकित किया है। इस वाद के विरूद्ध प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के द्वारा ग्राम लुहारिया की आ0नं0 1687 गेमु0 आबादी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है। वाद वर्णित आराजीयात जोरावरमल की वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सं0 2 के नाम पर बतौर खातेदार दर्ज हुई। वसीयत को विधिमान्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। इसी प्रकार वादीगण अपने को स्व0 जोरावरमल के वारिस बताकर यह वाद प्रस्तुत किया है जिसका अधिकार भी सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में यह वाद इसी स्टेज पर खारीज फरमाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नवेदन किया कि प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त बिन्दुओं को अपने जवाबदावे में उजर एतराज नहीं किया। प्रकरण वर्तमान में शहादत वादी में नियत होने से इस स्टेज पर इस प्रकार का एतराज करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। वादी के द्वारा वाद इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत किया है वादी के द्वारा वसीयत का तथ्य गलत अंकित किया है क्योंकि नामान्तरकरण केवल मात्र विरासत से अंकित हुआ है न कि वसीयत के आधार पर। वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार का होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 सव्यय खारीज फरमाया जावे। दोनो पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थना पत्र की बहस में वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी ने अपने वाद में सजरा अंकित किया है वह गलत होकर तथ्यों के विपरीत है। क्योंकि वादी सं0 1 व 2 के पिता व 3 के पति बंशीलाल, प्रतिवादी सं0 1 सुवालाल व मदनलाल स्व0 ईश्वरदास की संतान नहीं है। ये सभी हुक्मीचन्दजी की सन्तानें है। वादी के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें वादवर्णित आराजीयात चुन्नीलाल पिता ईश्वरदास के खातेदारी की हो। क्योंकि चुन्नीलाल के पुत्र रामनारायणजी हुए जिनके लड़के बंशीलाल सुवालाल व मदनलाल हुए। वादीगण जोरावरमलजी के वारिस है या नहीं इसका निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इसी प्रकार वादवर्णित आराजीयात में आ0नं0 1687 ज

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

कि गेमु0 आबादी है की खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसका श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय का है। वादवर्णित आराजीयात नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 21.02.59 द्वारा जोरावरमल की बजाय सत्यनारायण पिता सुवालाल कोठारी निवासी सुहारिया के नाम विरासत से स्वीकृत होने के बावजूद वाद कारण 10 जून, 99 किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद विधि विरूद्ध होने से चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज फरमाया जावे। वकील वादी/अप्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादपत्र में वादबिन्दु कायम किए जाकर शहादत वादी में नियत है। वाद वर्णित आराजीयात गेमु0 आबादी दर्ज है जिसे सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय का है इस सम्बन्ध में आरआरडी 1996 पेज 540 शंकर व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य का उद्धरण प्रस्तुत किया। इस स्टेज पर यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 सव्यय खारीज फरमाया जावे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इस स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पर बहस सुनी । बहस में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ईश्वरदासजी कोठारी के जोरावरमलजी पुत्र हुए जो लाऔलाद फौत हुए। ईश्वरदासजी के वादी संख्या 1 व 2 के पिता व 03 के पति वंशीलाल, प्रतिवादी सं0 1 सुवालाल व मदनलाल किस प्रकार ईश्वरदासजी की संताने हैं केवल मात्र वाद में सजरा अंकित कर देने मात्र से नहीं माना जा सकता है। पत्रावली में प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा वादी द्वारा वाद में अंकित सजरे को अस्वीकार करते हुए प्रत्येक समाज में वंशावली रखने वाले भाट/जागा होते हैं जो प्रत्येक परिवार का सजरा रखने का कार्य करते हैं और प्रार्थी/प्रतिवादी ने समाज की वंशावली रखने वाले रामगोपाल जागा द्वारा दिनांक 15.12.2009 को तैयार किए गए सजरे की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिसमें स्व0 वंशीलाल, सुवालाल व मदनलाल तीनों ही रामनारायण के लड़के हैं तथा रामनारायण के पिता चुन्नीलालजी तथा चुन्नीलाल जी के पिता हुक्मीचन्दजी थे। जोरावरमल के पिता का नाम ईश्वरदास था । इस प्रकार उदयरामजी के हुक्मीचन्द, ईश्वरदास व भूरादासजी हुए। इनमे से भूरादासजी के ईश्वरदास के पुत्र वरदीचन्द को गोद रखने का अंकन है। हुक्मीचन्द व ईश्वरदास लाऔलाद फौत नहीं हुए इनके वारिसों के नाम जागा ने अपनी वंशावली में दर्शा रखा है। इस प्रकार जोरावरमल के नाम पर जो भूमि थी वह जरिये इंतकाल नं0 79 से 21.02.59 को ही सत्यनारायण के नाम दर्ज करने हेतु स्वीकृत हो चुका था उसी के आधार पर नकल जमावन्दी सम्वत् 2013 से 2016 में आराजीयात कीता 7 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि सत्यनारायण पिता सुवालाल कोठारी सा0 देह दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 19 में इसी प्रकार का अंकन है । इसके पश्चात सम्वत् 2034 से 37 , सम्वत् 2038 से 41, सम्वत् 2042 से 45 व सम्वत् 2046 से 49 की जमाबन्दी में सत्यनारायण, राधेश्याम पिता सुवालाल महाजन सा0 देह खातेदारी से आराजीयात कीता 11 कुल रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमावन्दी सम्वत् 2046 से 49 की जमाबन्दी में आ0नं0 3607/1588–1592–1593–1594–3609/1595 कुल कीता 5 कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि जरिये इन्तकाल नं0 1614 दिनांक 31.05.1993 से तथा आ0नं0 1687 रकबा 15 बिस्वा भूम इन्तकाल नं0 1626 दिनांक 08.06.1993 से गेमु0 आवादी दर्ज हुई। जब वाद वर्णित आराजीयात इंतकाल नं0 79 दिनांक 21.02.59 को ही सत्यनारायण के नाम दर्ज हुई तत्समय वादी सं0 1 व 2 के पिता व 03 के पति वंशीलालजी जीवित थे उनके द्वारा वाद वर्णित आराजीयात का नामान्तरकरण संख्या 79 से हुए परिवर्तन को किसी न्यायालय मे उजर एतराज नहीं किया और 40 वर्ष वाद वादी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 79 से वर्ष 1959 में हुए परिवर्तन को वर्ष 99 में अपने को ईश्वरदासजी का वंशज बताते हुए घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

कोई दस्तावेज वाद पत्र में प्रस्तुत नहीं किया है। वादपत्र में वाद कारण जो दर्शाया है वह 10 जून, 99 को उत्पन्न होना बताया जो किस प्रकार से उत्पन्न हुआ सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार वादी द्वारा 40 वर्ष बाद यह वाद बिना उचित वाद कारण के निराधार व वेबुनियाद तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी के है। द्वितीय कथन कि वाद वर्णित आराजीयात में आ0नं0 1687 रकबा 15 बिस्वा गेमु0 आबादी दर्ज होते हुए उस पर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं है। वादी द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1996 पेज 540 शंकर व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य का प्रस्तुत किया वह यहां पर चस्पा नहीं होता है क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में गांवाई भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत गेमु0 आबादी घोषित नहीं की गई जिससे सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय का माना है परन्तु इस वाद में आ0नं0 1687 आबादी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किए जाने से जरिये नामान्तरकरण 1626 दिनांक 08.06.1993 से राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 49 में किस्म गेमु0 आबादी दर्ज है और आबादी भूमि के सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को होने से भी वाद काबिल खारीज है। इस प्रकार वाद कारण जो वाद में दर्शाया गया है वह उचित नहीं है, 40 वर्ष बाद वाद वर्णित भूमि को वादी ईश्वरदास का वंशज होकर स्वयं की खातेदारी घोषित कराना चाहता है जबकि अपने वाद पत्र मे अंकित सजरे की पुष्टि में कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया । किसी भी व्यक्ति को किसी मृतक का वारिस घोषित करने का अधिकार भी सिविल न्यायालय को है। इस प्रकार यह वाद मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने की मंशा से तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रतिवादी/प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को सिद्ध कराने में पूर्णतया सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव :-

आदेश

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को भी खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17-06-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़ भीलवाड़ा

(आदेश 20 नियम 6 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मांडल, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास डॉ0 पूजा सक्सेना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 234/2019 वाद पत्र

अनवान प्रकरण

1–गोपाल उर्फ नानालाल पिता बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया त0 मांडल
2–भैरूलाल उर्फ नंदकिशोर पिता बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया त0 माण्डल
3–रामकन्या पत्नि बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया के बजाय –
3/1–श्रीमती शांता पत्नि कन्हैयालाल बाहेती पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी कालियास त0आसीन्द
3/2–श्रीमती सुशीला देवी पत्नि बद्री नुवाल पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी रायपुर त0रायपुर
3/3–श्रीमती गीता पत्नि रामस्वरूप राठी पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी भीलवाड़ा त0भीलवाड़ा
3/4–श्रीमती कान्तादेवी पत्नि गोपाल काबरा पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी रायपुर त0रायपुर

–––––वादीगण

बनाम

1–सुवालाल पिता रामनारायण कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 माण्डल के बजाय–
1/1–बालकिशन पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
1/2–सत्यनारायण पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
1/3–राधेश्याम पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
1/4–जगदीश पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल
1/5–श्रीमती पुष्पा पिता सुवालाल कोठारी महाजन पत्नि मूलचन्द जागेटिया निवासी गोरख्या त0 करेड़ा
1/6–श्रीमती रूकमण पिता सुवालाल कोठारी महाजन पत्नि लक्ष्मीलाल समदानी निवासी नाहरी त0 रायपुर
2–सत्यनारायण पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया तहसील मांडल
3–राधेश्याम पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया तहसील मांडल
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

––––प्रतिवादीगण

(वाद बाबत– घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती)

प्रार्थना पत्रः– अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 07 व 08

––––0––––

निर्णय दिनांक 17 .06.2022

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण श्री मोहम्मद वासिफ व वादीगण/अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री एस0के0 मालीवाल उपस्थित। प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को भी खारीज किया जाता है।

चर्चा डिक्री आज दिनांक 17.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(डॉ0पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा